



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०,
सोन भवन, 5वीं मजिल, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001.

198

कार्यालय आदेश।

दिनांक 24.05.14 को निगम निदेशक पक्ष की 138वीं बैठक के मद सं० 138.24 पर निजी व्यक्तियों के गोदाम किराये में वृद्धि एवं विस्कोमान गोदाम के किराये में कमी किये जाने का निम्न प्रकार स्वीकृति दी गयी है।

| क्र० | गोदाम का श्रेणी | पूर्व का दर | | स्वीकृत दर | |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | रु० (प्रति मे०टन) | रु० प्रति वर्गफीट | रु० (प्रति मे०टन) | रु० प्रति वर्गफीट |
| 1 | 'क' पटना, मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र | 24.00 | 4.00 | 27.00 | 4.50 |
| 2 | 'ख' अन्य प्रमण्डलीय मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र | 21.00 | 3.50 | 24.00 | 4.00 |
| 3 | 'ग' शेष 29 जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र | 15.00 | 2.50 | 21.00 | 3.50 |
| 4 | 'घ' अनुमण्डलीय मुख्यालय | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 3.00 |
| 5 | 'ड' प्रखण्ड स्तर पर | 12.00 | 2.00 | 15.00 | 2.50 |
| 6 | 'च' विस्कोमान गोदाम (टैक्स रहित) | 36.00 | 6.00 | 18.00 | 3.00 |

निजी व्यक्तियों के गोदाम किराया का उक्त स्वीकृत दर दिनांक 01.7.14 के प्रभाव से लागू होगा तथा विस्कोमान गोदामों के किराये में कमी, माह दिसम्बर, 2013 से लागू है।

ज्ञापाक- 7914

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/डेस्क पदाधिकारी, मुख्यालय/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार एवं सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

दिनांक- 27.7.14

प्रबंध निदेशक।

AR/